GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

No. 2012/TG-I/20/P/W/List **New Delhi, dated 08 .01.2013**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 03 OF 2013)

Sub: Extension of waiting list limit.

Please refer to this office letter no.2003/TG-I/20/P dated 10.10.1997 & 03/06.10.2003 wherein the following current waiting list has been prescribed for different classes:-

1st AC/EC	-	30	
2AC	-	100	
1st Class	-	30	
3AC/Chair Car	-	300*	*75 in case one AC 3-Tier/CC running in train
Sleeper Class	-	400	

1.1 For those trains which do not have any stoppage enroute, the maximum waiting list limit for Sleeper Class has been prescribed as 150 as against 400.

2. It has now been decided that extension of prescribed waiting list limit will be done by zonal Railways as per the following guidelines:-

i) Extension of prescribed waiting list limit will be done judiciously by zonal Railways in exceptional circumstances like movement of HOR holders/MPs/VIPs, security personnel like NSG/SPG/other Government servants going on duty or for other passengers who are to move at short notice owing to emergencies.

ii) For extension of Waiting List upto 10 passengers per occasion after displaying of "Regret" in the system, Chief Reservation Supervisor/Reservation Supervisor should be authorised. Beyond this level, zonal Railways will

prescribe the authority {not below the level of a SA grade officer-CCM/CCM(PS)/CCM(PM)}, who can grant such permission.

iii) A record of such permissions granted indicating the complete details along with reasons should be maintained.

iv) This record should be monitored by a nominated authority who will review it on monthly basis.

v) CRIS will build in system controls for this purpose.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

(S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway/Bhusaval, Eastern Railway Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
8) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
9) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
10) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
12) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
****

सं.2012/टीजी-I/20/पी/डब्ल्यू/लिस्ट नई दिल्ली, दिनांक 08.01.2013

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें ।

(2013 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 03)

विषय: प्रतीक्षा सूची सीमा का विस्तार।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 10.10.1997 एवं 03/06.10.2003 के पत्र सं. 2003/टीजी-I/20/पी का अवलोकन करें जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नानुसार चालू प्रतीक्षा सूची निर्धारित की गई है :-

1 एसी/ईसी	-	30	
2 एसी	-	100	
प्रथम श्रेणी	-	30	
3 एसी/चेयर कार	-	300*	*75 यदि गाड़ी में एक एसी 3 टियर/सीसी हो
स्लीपर श्रेणी	-	400	

1.1 उन गाड़ियों, जिनके मार्ग में कोई भी ठहराव नहीं होते हैं, में स्लीपर श्रेणी के लिए 400 की बजाय अधिकतम 150 की प्रतीक्षा सूची सीमा निर्धारित की गई है।

2. अब यह विनिश्चय किया गया है कि क्षेत्रीय रेलों द्वारा निर्धारित प्रतीक्षा सूची सीमा का विस्तार निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा:-

i) क्षेत्रीय रेलों द्वारा ऐसी आपवादिक परिस्थितियों में जब एचओआर धारियों/संसद सदस्यों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, ड्यूटी पर जा रहे सुरक्षा कर्मचारियों जैसे एनएसजी/एसपीजी/अन्य सरकारी कर्मचारियों अथवा अन्य यात्रियों जिन्हें आपातकालीन स्थिति में अल्प सूचना पर यात्रा करनी होती है, के मामलों में निर्धारित प्रतीक्षा सूची की सीमा का विस्तार विवेकपूर्ण ढंग से किया जाएगा।

ii) सिस्टम में "रिग्रेट" दर्शाने के पश्चात् प्रत्येक अवसर पर 10 यात्रियों तक प्रतीक्षा सूची में विस्तार के लिए मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक/ आरक्षण पर्यवेक्षक सक्षम प्राधिकारी होंगे। इस

-2/---

स्तर से आगे, क्षेत्रीय रेलें प्राधिकारी का निर्धारण करेंगी {वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर के अधिकारी-सीसीएम/ सीसीएम(पीएस)/सीसीएम(पीएम) से नीचे नहीं}, जो ऐसी अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

iii) दी गई ऐसी अनुमतियों का एक रिकार्ड रखा जाएगा जिसमें कारण सहित पूर्ण ब्यौरे का उल्लेख हो ।

iv) इस रिकार्ड की निगरानी नामित प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जो मासिक आधार पर इसकी समीक्षा करेगा।

v) क्रिस, इस प्रयोजन के लिए "आन्तरिक सिस्टम कंट्रोल" की व्यवस्था करेगा।

3. सभी सबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(एस. के. अहिरवार)
निदेशक यातायात वाणिज्यिक(सा)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), वि का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3) एम डी/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसंद मार्ग, नई दिल्ली।
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनवाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरनगर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7) महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोर्ड, नई दिल्ली ।
8) महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
9) महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
10) महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
11) महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
12) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71